बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत नीलगाय संरक्षित जीव माना गया। बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि नीलगाय एवं वन्य सुअर को नियंत्रित किया जाना कठिन है। फलस्वरूप 30 दिसंबर, 2015 को 11 माह के लिए गजट के माध्यम से राज्य के 31 जिला में नीलगाय एवं राज्य के 10 जिला में जंगली सुअर को मारने की अनुमति दी गई अब यह समय समाप्त हो गया है। बिहार के विभिन्न जिला में नीलगाय एवं जंगली सुअर के कहर से किसान परेशान हैं। नीलगायों के आतंक ने कई बीघा में लगी तेलहन एवं दलहनी फसलों को बर्बाद कर दिया है। उदाहरण-स्वरूप शेखपुरा के पहाड़ी इलाकों से टाल की ओर करीब 500 नीलगायों का जमावड़ा हो गया है। चौहरमल के पास टाल इलाका शहरी गांव बहरपुर, शिवनार आदि क्षेत्रों में इसे देखा जा सकता है। पुन: केन्द्र सरकार से अनुरोध आवश्यक है कि इसके मारने के लिए अनुमति प्रदान करें।

अत: राज्य के विभिन्न जिला को नीलगायों एवं जंगली सुअर के आतंक से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- नीरज कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 40/2017 - 245 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 11.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 03.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 11.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला के घोघरडीहा प्रखंड अंन्तर्गत पिरोजगढ़ पंचायत में नवसृजित प्रा. विद्यालय, विक्रमराही के जीर्णोद्धार हेतु भवन निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2006-07 में ही प्रथम किस्त के रूप में 5,34,000/- रुपए निर्गत कर भवन निर्माण कार्य लिंटल तक कर मापी पुस्तिका को संधारित किया जा चुका है। मापी पुस्तिका के आधार पर कुल- 3,41,991/- -रुपए की ही मापी पुस्तिका संधारित है। शेष राशि 1,92,009/- रुपए के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, घोघरडीहा को संबंधित प्रधानाध्यापक एवं सचिव पर जांच करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निदेशित भी किया जा चुका है।

विदित हो कि दस वर्ष होने को जा रहे हैं और आज तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई न कर सिर्फ पत्राचार ही अनुपालन में प्राप्त हो रहा है।

अत: मैं सरकार से नवसृजित प्रा. विद्यालय, विक्रमराही के जीर्णोद्धार हेतु भवन निर्माण के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुमन कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 39/2017 - 244 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 11.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 03.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 11.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत कपूरी ठाकुर इंटर महाविद्यालय सिंघिया हिवन, मोतिहारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ.मा.) पटना के आदेशानुसार संचालित किया जाता है। जिसके संदर्भ में कहना है कि वर्त्तमान प्राचार्य द्वारा वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं सरकारी नियमों की अवहेलना करने संबंधी पत्रांक- BSEB (SS) COII% BStab/9081/D-16 वि. विद्यालय परीक्षा समिति (उ.मा.) बुद्ध मार्ग, पटना के दिनांक- 23.12.2016 द्वारा राशि गबन के जांच जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक-2894 दिनांक- 26.11.16 के द्वारा अभिलेखों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला संदेहास्पद प्रतीत होना बताया गया है। तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ.मा.) बुद्ध मार्ग, पटना के निदेशक (शैक्षिक) के पत्रांक- 9079 दिनांक- 20.12.2016 द्वारा उक्त इंटर महाविद्यालय के गठित तदर्थ प्रबंध समिति को भंग कर जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से तीन प्राचार्य/ सेवा निवृत्त प्राचार्य का पैनल बनाकर समिति कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध करने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक- 3058, दिनांक- 24.12.2016 के द्वारा तीन प्राचार्य/ सेवा निवृत्त प्राचार्य एवं उनका विवरण निदेशक (शैक्षणिक) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ.मा.) बुद्ध मार्ग, पटना को उपलब्ध कराने के बावजूद अब तक लंबित है।

अत: प्रथम दृष्टयता गबन के आरोपित प्राचार्य कर्पूरी ठाकुर इंटर महाविद्यालय सिंघिया हिवन, पूर्वी चम्पारण कर मुकदमा दर्ज करने तथा तदर्थ प्रबंध समिति को अविलंब गठन करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सतीश कुमार कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 41/2017 - 264 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 14.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 03.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 14.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

शिक्षा आयुक्त के पत्रांक- 12, दिनांक- 25.01.1985 द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत यशोदा राज लाल प्रोजेक्ट बालिका उ. वि. महथा, लदनियां की स्वीकृति दी गई थी। जिला पदाधिकारी द्वारा शिलान्यास भी किया गया। 02 बीघा 13 कट्ठा 09 धूर जमीन राज्यपाल, बिहार के नाम निबंधित है तथा रसीद कट रही है। कतिपय पदाधिकारियों द्वारा विविदित जमीन बताकर गलत ढंग से 10 कि.मी. दूर खाजेडीह में प्रोजेक्टर बालिका उ.वि. की स्थापना कर दी गई।

जिलाधिकारी ने स्वीकार किया कि जमीन विवादित नहीं है तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्वीकार किया कि विभाग भ्रम का शिकार हुआ है।

अतः सर्वोच्च प्राथमिकता देकर यशोदा राज लाल प्रोजेक्ट क.उ.वि. महथा, लदनियां की जमीन पर स्कूल बनाने के संबंध में सरकार सेदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामलषण राम रमण,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 43/2017 - 247 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 11.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 03.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह
(नवल किशोर सिंह) 11.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

राजधानी पटना के पांच विद्यालयों को मई 2016 में मॉडल स्कूल बनाने का निर्णय लिया गया था। इसमें राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांकीपुर, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनीबाग और रवीन्द्र बालिका उच्च विद्यालय, राजेन्द्रनगर शामिल हैं। इसके तहत स्कूलों में आवश्यकता अनुसार स्कूल के भवन, बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद को भी प्रोत्साहित कराना था परन्तु इन सभी स्कूलों की स्थिति वर्तमान में बेहद दयनीय है। मॉडल के रूप में चुने गए इन सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। कहीं फिजिक्स के टीचर नहीं तो कहीं पांच शिक्षकों के भरोसे 5 से 6 सौ छात्र हैं। सरकार ने जिन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के लिए चयनित किए हैं उन लगभग सभी स्कूल के भवन जर्जर अवस्था में हैं कहीं शिक्षा विभाग का कार्यालय खुला है, कहीं पुलिस कैंप है तो कहीं बाहरी लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है।

अत: मैं सरकार से सदन में उक्त सभी विद्यालयों को पूर्णत: मॉडल बनाने एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य में उपयोगी सभी सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामचन्द्र भारती,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 42/2017 - 246 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 11.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 03.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 11.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।